फार्म सं. अं.वि.:पीएम:22

भारत सरकार / Government of India

अंतरिक्ष विभाग / Department of Space

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान

INDIAN INSTITUTE OF SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY

क्रय प्रभाग / **PURCHASE DIVISION**

वलियमला, तिरुवनंतपुरम / Valiamala, Thiruvananthapuram 695 547

केरल, भारत / Kerala, India

फोन/Phone: 0471-2568451 फैक्स/Fax:0471-256 8406/ई-मेल/E-mail ID:purchase@iist.ac.in

निविदाकारों को निदेश एवं निविदा की नियम एवं शर्तें

निदेश

1. निविदाकारों को, निविदा सं., खोलने की नियत तिथि अंकित करते हुए पैंफलेट, कैटलॉग एवं तकनीकी विशेषताओं के साथ सभी तरीके से पूर्ण मुहरबंद लिफाफे में दो प्रतियों में कोटेशन प्रस्तुत करने चाहिए।

2. प्रोफार्मा इनवाइस भी दिया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सूचना अंकित होनी चाहिए:

क) समुद्री रास्ते/हवाई रास्ते द्वारा आयात के लिए एफ.ओ.बी./एफ.सी.ए. मूल्य, सी.एवं एफ. मूल्य और तिरुवनंतपुरम तक हवाई पार्सल अलग से अंकित होना चाहिए।

ख) एजेंसी कमीशन: कीमत में शामिल कमीशन की राशि एवं ठेकेदार के भारतीय एजेंट को देय राशि क्रय आदेश जारी करने की तारीख पर विनिमय दर पर क्रय की जा रही टी.टी. का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा इनवाइस के आधार पर भारतीय रुपयों के समतुल्य राशि क्रेता द्वारा भारतीय एजेंटों को सीधे ही भुगतान की जाएगी और आगे किसी विनिमय फेरबदल की शर्त पर नहीं होगी। यह भुगतान भारत में सामान की सीमा शुल्क की अनापत्ति के पश्चात ही भारतीय एजेंट को जारी की जाएगी।

ग) ठेकेदार के इनवाइस में शामिल एजेंसी कमीशन की राशि को घटाने के बाद उसको भुगतान की जाने वाली निवल राशि का ही इनवाइस करेगा जो कि क्रेता द्वारा सीधे ही भारतीय ऐजेंट को भुगतान की जाएगी। फिर भी, ठेकेदार को अपने भारतीय एजेंट को देय कमीशन की राशि को अलग से इनवाइस में दर्शाना चाहिए।

घ) डिलीवरी की शीघ्रातिशीघ्र अवधि एवं सामान/उपकरण के मूल देश का नाम।

ङ) बैंकर का नाम, पता, दूरभाष/फैक्स नंबर एवं ठेकेदार का ई - मेल पता।

च) लगभग निवल, कुल भार एवं पैकेज/केस की लम्बाई, चौड़ाई।

छ) कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक कार्य हेतु सिफारिश किए गए अतिरिक्त उपकरण।

ज) स्थापना, असेम्बली, अभिचालन तथा कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो तो तकनीकी सेवा का विवरण ।

3. एफ.ओ.बी./एफ.सी.ए. तथा सी. एवं एफ. के उद्धृत मूल्यों में निविदादाता के देश के सभी कर, शुल्क शामिल होने चाहिए।

4. प्रस्ताव, निविदा खोले जाने के नियम तारीख से 120 दिनों तक की न्यूनतम अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

5. नमूने यदि मंगाये जाते हैं तो वे सभी प्रभारों से मुक्त होने चाहिए।

6. विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। केबल द्वारा भेजे गए मूल्य विस्तृत प्रस्ताव के साथ भेजे जाएं।

7. प्रधानों की ओर से भारतीय एजेंटों द्वारा दिए गए प्रस्ताव उनके प्रधानों के बीजक प्रपत्र (प्रोफार्मा इनवाइस) के साथ भेजे जाएं।

8. आयात लाइसेंस का विवरण क्रय आदेश में दिया जाएगा।

9. निविदा पर हस्ताक्षरकर्ता का प्राधिकार यदि मांगा जाए तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

10. जहां कहीं आवश्यक हो, पूरे असेम्बली ब्यौरे के साथ, जिसमें वायरिंग रेखाचित्र शामिल हो, अनुदेश/कार्य मैनुअल दो प्रतियों में भेजा जाए। सभी दस्तावेज/पत्राचार अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए।

11. क्रेता के पास निम्नतम या किसी अन्य प्रस्ताव को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिना कारण बताए स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार है।

12. स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमति है कि ठेका दिए गए माल की स्वीकृति क्रेता द्वारा लिखित में अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

13. क) आंशिक नौवहन (माल भेजना) स्वीकार्य नहीं है जब तक विशेष रूप से हम सहमत न हों।

ख) जहां तक संभव हो, माल भारतीय ध्वज युक्त पोत से भेजना चाहिए। एयर इंडिया में हमारे द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा भेजा जाना चाहिए।

14. ठेकेदार के कार्य की पूरी तरह जांच करने के बाद माल के लिए निरीक्षण/जांच प्रमाणपत्र प्रदान करना चाहिए। लाइड्स या अन्य किसी जांच एजेंसी द्वारा निरीक्षण कराना आवश्यक समझा जाए तो ठेकेदार द्वारा उसकी व्यवस्था की जाए।

15. जहां स्थापना या असेम्बली या अभिचालन ठेके का भाग है, वहां यह कार्य सूचना पर तत्काल किया जाना चाहिए। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में विलंब के कारण हुई हानि/क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

16. ऐसी वस्तुएं जिनकी कालावधि है, क्रय आदेश पर अधिकतम कालावधि वाली वस्तुओं की आपूर्ति की जानी चाहिए।

II. निबंधन एवं शर्तें

1. **परिभाषा:**

(क) 'क्रेता' से भारत के राष्ट्रपति या उनका उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ख) 'ठेकेदार' से वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जिसको माल की आपूर्ति का आदेश दिया गया है और इसमें ठेकेदार का उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, वारिस, कार्यकर्ता तथा प्रशासक भी शामिल हैं जब तक कि ठेके से अलग न किया गया हो।

(ग) 'क्रय आदेश' से, क्रेता की ओर से विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वह दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें क्रेता की ओर से उल्लिखित या निर्दिष्ट शर्त व निबंधन की स्वीकृति सूचित करते हुए संयंत्र, यंत्रावली या उपस्करों या उनके पुर्जों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार की निविदा या प्रस्ताव की स्वीकृति सूचित की गई हो।

(घ) 'सामान' से, क्रय आदेश में यथा निर्दिष्ट ठेके के तहत वह सामान अभिप्रेत है ठेकेदार जिसकी आपूर्ति करने पर सहमत हो।

2. **मूल्य**

स्थिर मूल्य प्रदान करने वाली निविदा को अधिमान्यता दी जाएगी। जहां निविदादाता/निविदाकार द्वारा मूल्य-परिवर्तन खंड पर जोर दिया गया हो वहां भाव की उचित सीमा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसे प्रस्तावों में अनिवार्यत: निविदा देते समय हिसाब में लिए गए मूल मूल्य और साथ ही, ऐसे परिवर्तन का सूत्र बताया जाना चाहिए।

3. **भुगतान की शर्तें**

3.1 भारत सरकार का विभाग होने के नाते, भुगतान की सामान्य शर्तें साइट ड्राफ्ट के अनुसार होंगी। तथापि, भुगतान की अन्य शर्तें जैसे साख पत्र की प्रस्तुति पर क्रेता द्वारा यथा सहमत शर्तों एवं नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

3.2 साइट ड्राफ्ट/साख पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर कार्यशील होगा:

क) मूल लदान पत्र/एयरवे बिल

ख) डिलीवर किए गए माल की मात्रा, दर तथा उसके कुल मूल्य को दर्शाते प्रमाणित वाणिज्यिक बीजक की तीन प्रतियां/बीजक में दी गई छूट, यदि कोई हो, दर्शाई जानी चाहिए तथा एजेंसी कमीशन अलग से दर्शाया जाए।

ग) पैकेट के पृथक-पृथक आकार तथा वजन को दर्शाती पैकिंग सूची।

घ) मूल देश के प्रमाणपत्र की दो प्रतियां

ङ) जांच प्रमाणपत्र

च) विक्रेता द्वारा घोषणा कि प्रत्येक केस में निहित सामग्री बीजक में दर्शाई गई से कम नहीं है और माल की गुणवत्ता क्रेता द्वारा किए गए विनिर्देशनों के अनुसार है।

छ) निम्नलिखित खंड 20 के द्वारा वारंटी एवं गारंटी प्रमाणपत्र।

4. **आयात लाइसेंस:**

पैरा 3.2 के अनुसार सभी दस्तावेजों में आयात लाइसेंस संख्या एवं दिनांक और ठेके संख्या एवं दिनांक स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए।

5. **विलंब शुल्क:**

समुद्र के मार्ग से आने वाले माल के लदान बिल के दिनांक से उचित समय के अंदर अर्थात, 10-12 दिनों के अंदर और हवाई मार्ग से आने वाले माल के वायु मार्ग बिल के दिनांक से 3-4 दिनों के अंदर बैंकर को पैरा 3.2 में यथा निर्धारित नौवहन (माल लदान) दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब के कारण क्रेता द्वारा विलंब शुल्क, यदि कोई हो, का आपूर्तिकर्ता वहन करेगा।

6. **भारतीय एजेंटों के पते:**

.....

7. **समय पर डिलीवरी की गारंटी:**

क्रय आदेश में निर्धारित डिलीवरी का समय एवं दिनांक संविदा का अंग माना जाएगा। उसमें विनिर्दिष्ट दिनांक तक डिलीवरी कर दी जानी चाहिए।

8. **निरीक्षण एवं स्वीकृति जांच:**

8.1 क्रेता के प्रतिनिधि को निर्माण के समय हर उपयुक्त समय पर ठेकेदार के परिसर में इस ठेके के तहत आपूर्ति किए जाने वाले सभी माल की सामग्री तथा कारीगरी का निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच करने का हकदार होगा और यदि आंशिक माल अन्य परिसर में निर्मित किया जा रहा हो तो ठेकेदार क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण, परीक्षण एवं जाँच करने हेतु अनुमति इस प्रकार प्राप्त करेगा जैसे उपकरण ठेकेदार के परिसर में निर्मित किए जा रहे हैं। ठेकेदार ऐसे निरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच से इस ठेके के तहत दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाता।

8.2 ठेकेदार के परिसर में या उसके किसी उप-ठेकेदार के परिसर में जाँच हेतु ठेकेदार क्रेता के प्रतिनिधि को कुशलतापूर्वक जाँच करने के लिए आवश्यक सहायता, श्रमिक, सामग्री, विद्युत, ईंधन तथा उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा।

8.3 जब माल की विशिष्ट जाँच हो चुकी है, क्रेता के प्रतिनिधि उस संबंध में लिखित में ठेकेदार को प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। ठेकेदार यथा आवश्यक, क्रेता को जाँच के प्रमाणपत्रों की प्रति प्रदान करेगा।

9. **प्रेषण का तरीका:**

सामान्यतया, माल भारतीय ध्वज वाले जहाज/एयर इंडिया द्वारा अथवा क्रेता द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के जरिए भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक पैकेज में अनिवार्य रूप से बीजक एवं पैकिंग सूची की प्रति रखी जानी चाहिए।

10. **प्रवेश बंदरगाह**:

तिरूवनंतपुरम/चैन्नई/मुंबई/हैदराबाद/बेंगलूर/.....

11. **प्रेषिती**:

वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, भंडार,
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
वलियमला, तिरुवनंतपुरम - 695 547, केरल, भारत

12. **पोतभरण (नौवहन)**

पोतभरण जैसे बीजक, लदान बिल तथा पैकेजों पर अंकन निम्नानुसार होगा:

क्रय आदेश सं. .....
दिनांक .....

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी, भंडार,
भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
वलियमला, तिरुवनंतपुरम - 695 547

गंतव्य स्थान: आईआईएसटी, तिरुवनंतपुरम एवं

प्रवेश बंदरगाह: तिरुवनंतपुरम

13. **माल का बीमा:**

बीमा की आवश्यकता या अन्यथा क्रय आदेश के अनुसार होगी।

14. **चूक में ठेकेदार का दायित्व**:

14.1 क्रेता ठेकेदार द्वारा चूक करने पर नीचे दी गई परिस्थितियों में संपूर्ण या आंशिक संविदा को लिखित सूचना द्वारा समाप्त कर सकेगा:

क) यदि क्रेता के विवेक में ठेकेदार संविदा/करार में विनिर्दिष्ट समय के अंदर अथवा क्रेता द्वारा ठेकेदार को बढ़ाई गई अवधि के अंदर माल डिलीवर करने में विफल रहता है।

ख) क्रेता के अनुसार ठेकेदार इस ठेका के अन्य किसी प्रावधान के अनुपालन करने में विफल रहता है।

15. खंड 14 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, क्रेता संपूर्ण या आंशिक रूप से ठेका समाप्त करता है तो क्रेता के पास, जैसा वह उचित समझे, उस शर्तपर और उस ढंग से समाप्त किए गए माल के समान माल खरीदने का अधिकार रखता है और ऐसे माल के लिए अतिरिक्त लागत और/या विलंब हेतु समाप्ति क्षति जैसा कि खंड 19 में निर्दिष्ट है, क्रेता के लिए देनदार होगा उस उचित समय तक जैसा कि माल की अंतिम आपूर्ति के लिए आवश्यक हो।

15.1 यदि खंड 14 के प्रावधान के अनुसार यह ठेका समाप्त किया जाता है तो इस अनुच्छेद में दिए गए अन्य अधिकारों के अतिरिक्त, ठेकेदार क्रेता को निम्नलिखित खंडों के तहत क्रेता द्वारा निर्देशित ढंग में स्वामित्व का हस्तांतरण एवं डिलीवरी करेगा।

क) आपूर्ति किया गया पूरा माल

ख) ऐसा आंशिक रूप से पूरा किया गया माल, आरेखन, सूचना तथा ठेके का अधिकार (जिसे आगे से निर्मित सामग्री कहा गया है) क्योंकि ठेकेदार ने समाप्त किए गए ठेके के निष्पादन के लिए विशेष रूप से उत्पादित या अर्जित किया हो। क्रेता, ठेकेदार को पूरे किए डिलीवर माल और क्रेता द्वारा स्वीकृत माल के लिए संविदात्मक मूल्य का भुगतान करेगा।

15.2 खंड 14 में दिए गए अनुसार क्रेता ठेके को समाप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में, ठेकेदार ठेके के निष्पादन को जारी रखेगा और ऐसे मामले में वह खंड 19 में दिए गए विलंब के कारण की क्षतिपूर्ति के लिए क्रेता का देनदार रहेगा।

16. **बदलना:**

यदि पारवहन के दौरान, माल या उसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्रेता, ठेकेदार पारवहन में उस क्षतिग्रस्त माल का विवरण देते हुए सूचित करेगा। माल के उपयोग में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए ठेकेदार द्वारा उचित समय के अंदर वैसे माल को बदला जाएगा। क्रेता सहमत होता है तो बदली वस्तुओं के मूल्य का भुगतान क्रेता द्वारा निविदा में प्रस्तावित मूल मूल्य के आधार पर या निविदा में से उचित रूप से तैयार किए गए मूल्य पर किया जाएगा।

17. **अस्वीकृति**:

आपूर्ति किए गए माल की सामग्री या कारीगरी खराबी पाई जाने अथवा ठेके में विनिर्देशनों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर क्रेता या तो माल अस्वीकार कर सकेगा या लिखित रूप में ठेकेदार से, उसे ठीक करने का अनुरोध कर सकेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर ठेकेदार क्रेता को नि:शुल्क उस खराब माल को या तो ठीक करेगा या बदलेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल होता है तो क्रेता अपने विकल्प पर या तो

क) ऐसे खराब माल को बदलाएगा या ठीक करवायेगा और हुए अतिरिक्त खर्च को ठेकेदार से वसूल करेगा, या

ख) उपरोक्त खंड 14 के प्रावधान के अनुसार चूक के लिए ठेके को समाप्त कर देगा,

या

ग) उन परिस्थितियों में कम मूल्य पर खराब माल को खरीद लेगा। इस अनुच्छेद का प्रावधान खंड 19 के तहत क्रेता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

18. **समय-सीमा बढ़ाना**:

यदि प्राकृतिक आपदा, जन वैमनस्यता, सरकारी कार्य, अग्नि, बाढ़, महामारी, संक्रमणता, प्रतिबंध, हड़ताल, प्रतिबंध आदि जैसी अप्रत्याशित घटना के कारण माल की आपूर्ति को पूरा करने में विलंब होता है, तो ठेकेदार 15 दिनों के अंदर समय बढ़ाने के अपने दावे को लिखित में क्रेता को देगा। क्रेता ऐसी सूचना प्राप्ति पर जाँच के पश्चात, यदि आवश्यक हो, कार्य डिलीवरी के दिनांक को ठेके की अन्य शर्तों व नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथोचित अवधि को बढ़ाने पर सहमत हो सकता है।

19. **पूर्ण करने में विलंब/हर्जाना क्षतिपूर्ति**:

यदि ठेकेदार संविदा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर या बढ़ाई गई अवधि के अंदर माल की डिलीवरी करने में विफल रहता है तो क्रेता विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए डिलीवरी माल की संविदा मूल्य के एक प्रतिशत की आधी राशि (0.5 प्रतिशत) हर्जाना क्षति के रूप में ठेकेदार से वसूल कर सकेगा। कुल हर्जाना क्षति विलंबित यूनिट के संविदा मूल्य के दस प्रतिशत (10%) से अधिक न हो। माल की डिलीवरी तब ही मानी जाएगी जब सभी घटक पुर्जे भी डिलीवर कर दिए हों। यदि कुछ घटक समय पर डिलीवर नहीं किए गए हों, तो माल तब तक विलंबित माना जाएगा जब तक कि सभी पुर्जे डिलीवर न कर दिए गए हों।

20. **गारंटी एवं बदलना:**

क) ठेकेदार यह गारंटी देगा कि आपूर्ति किया गया माल पूरी तरह सामग्री, कारीगरी तथा निष्पादन हेतु दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप है।

ख) माल की स्वीकृति के बारह महीनों के बाद की अवधि के लिए यदि कोई खराबी पाई जाती है या खराब सामग्री, डिजाइन या कारीगरी के कारण सही उपयोग के बावजूद खराब हो जाती है तो ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसी खराबी को ठीक करेगा बशर्ते क्रेता द्वारा स्वीकृति की तारीख से 14 महीनों की अवधि के अंदर, उसे लिखित में कि माल या किसी खराब भाग को ठीक करने के लिए कहा जाए।

ग) क्रेता की राय में यदि किसी खराब माल को बदलने या नवीनीकृत करने की आवश्यकता हो तो क्रेता ठेकेदार को नि:शुल्क ऐसे बदलने या नवीनीकरण करने चाहिए बशर्ते, स्वीकृति की तारीख से उक्त 14 महीनों की अवधि के अंदर इस संबंध में क्रेता द्वारा खराबी की सूचना ठेकेदार को दी जाए।

घ) यदि ठेकेदार खराबी दूर करने में विफल रहता है तो क्रेता के पास खराब माल को संपूर्णत: या उसके किसी भाग को अस्वीकृत करने या ठेकेदार के खर्च पर मरम्मत करने या बदलवाने का अधिकार होगा।

ङ) पूर्व अनुमोदन या स्वीकृति या क्रेता की ओर से ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया गया माल खराब है या नहीं अथवा उक्त 12 महीनों की अवधि में वह खराबी उत्पन्न हुई है या खराबी के कारण नवीनीकरण या बदलने की आवश्यकता है, के होते हुए भी, क्रेता का निर्णय अंतिम, निर्णयात्मक एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

च) उपरोक्त खंड 20 (क) से (ङ) तक दिए गए गारंटी के नियमों को पूरा करने हेतु ठेकेदार, क्रेता के विकल्प पर, प्रथम शिपिंग दस्तावेज के साथ संविदा के मूल्य के 10% के समान राशि के लिए क्रेता द्वारा अनुमोदित बैंक से बैंक गारंटी (क्रेता द्वारा यथा-निर्धारित-बैंक गारंटी प्रपत्र संलग्न) प्रदान करेगा। सभी प्रकार से ठेका के निष्पादन एवं पूरा होने के बाद, बैंक गारंटी ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के लौटाई जाएगी।

छ) सभी प्रतिस्थापित माल की भी गारंटी क्रेता के स्थान पर पहुँचने के दिनांक से 12 महीनों की अवधि के लिए होगी।

ज) यद्यपि 12 महीने की गारंटी सभी माल पर लागू है, जहाँ कहीं हमारे विनिर्देशनों द्वारा अधिक अवधि अपेक्षित है, तब वैसा विनिर्देशन लागू होगा और ऐसे मामलों में, खंड 20(ख) एवं (ग) में निर्दिष्ट 14 महीनों की अवधि के साथ दो माह के लिए गारंटी ली जाएगी।

21. **आदेशित माल-सामान/पुर्जों की अतिरिक्त आवश्यकता**

क्रेता द्वारा बाद की तिथि में कोई आपूर्ति करनी है तो भी ठेकेदार करेगा, भुगतान किए जाने वाला मूल्य, बातचीत द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जाएगा।

22. पैकिंग:

क) ठेकेदार जहां कहीं आवश्यक हो, माल को समुद्र/वायु मार्ग से भेजने के लिए पैक को लकड़ी की पेटी में बंद करेगा, उस ढंग से जो उष्णकटिबंधीय आद्र जलवायु में भेजने हेतु उपयुक्त हो और अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत निर्यात पद्धति के अनुसार हो तथा अंतरिक्ष उपयुक्त माल की सड़क, रेल या समुद्री मार्ग में क्षति या हानि से संरक्षा हो सके। ठीक तरह पैकिंग न करने के कारण हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

ख) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि माल का प्रत्येक डिब्बे/यूनिट पर लिखा हुआ पढा जा सके और वह सही ढंग से अंकित हो ताकि सही रूप से पहचाना जा सके। इस आवश्यकता की पूर्ति में विफल होने पर इसमें हुए अतिरिक्त खर्च के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।

ग) ठेकेदार को जहाज पर सामान चढाने वाले बंदरगाह से भेजे जाने की दिनांक के साथ-ही-साथ पहुँचाने वाले बंदरगाह पर ऐसे सामान के पहुँचने की संभावित दिनांक से क्रेता को सूचित करना होगा।

घ) ठेकेदार वजन, आकार, प्रत्येक पैकेज की विषय-वस्तु, आदि से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करेगा।

ङ) क्रेता की लिखित अनुमति के बिना उपस्करों की ट्रांसशिपमेंट की अनुमति नहीं होगी।

च) बैंक के माध्यम से तय किए गए प्रेषण दस्तावेज भेजने के बावजूद निम्नलिखित दस्तावेज भी समुद्री मार्ग द्वारा भेजे गए दिनांक से 7 दिनों के अंदर और हवाई मार्ग से सामान भेजने के 3 दिनों के अंदर क्रेता को हवाई डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए।

(क) लदान का वाणिज्यिक बिल/एयरवे बिल/डाक पार्सल प्राप्ति/(दो अपरक्राम्य प्रतियां)
(ख) इनवाइस (3 प्रतियां)
(ग) पैकिंग सूची (3 प्रतियां)
(घ) जांच प्रमाणपत्र (3 प्रतियां)
(ङ) निर्माण का प्रमाणपत्र

ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पैकिंग सूची की एक प्रति प्रत्येक मामले में संलग्न है।

23. **मध्यस्थता**:

किसी भी समय इस संविदा पर या इससे संबंधित क्रेता और ठेकेदार के बीच कोई भी प्रश्न, विवाद या मतभेद, कोई पक्ष दूसरे को ऐसे प्रश्न, विवाद या मतभेद के विषय में लिखित में सूचना देगा और जिसे दो मध्यस्थों में से एक क्रेता द्वारा नामित और दूसरा ठेकेदार द्वारा नामित के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थतों के विचारों में मतभेद की दशा में मामला अम्पायर के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक चैंबर के मध्यस्थता हेतु नियमों एवं विधियों के अनुसार किया जाएगा। मध्यस्थों एवं अम्पायर के खर्चे उनके द्वारा निर्णय के अनुसार भुगतान किए जाएंगे। फिर भी, ऐसे मध्यस्थों का स्थान भारत में ही होगा।

24. **भाषा एवं उपाय:**

विनिर्देशन, कार्यक्रम सूची, सूचना, पत्राचार, प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुदेश, आरेखण या कोई अन्य लेख सहित संविदा से संबंधित सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। मापन की मीट्रिक पद्धति का संविदा में विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा।

25. **क्षतिपूर्ण बंध**

ठेकेदार यह आश्वासन देगा कि संविदा के प्रति भेजे गए सभी सामान किसी भी पेटेंट, कापीराइट या ट्रेडमार्क के उल्लंघन से मुक्त और साफ हैं तथा सभी दावों के प्रति क्रेता का हर समय क्षतिपूर्ण हेतु प्रतिबद्ध होगा जो पेटेंट, डिजाइन या ट्रेडमार्क पंजीकरण द्वारा किसी अधिकार सुरक्षा के उल्लंघन के लिए सामानों के संबंध में किए जाएंगे और सभी दुर्घटना और क्षति की जिम्मेदारी लेगा जो किसी भी कारणवश आपूर्ति के न होने और संविदा के पूरा करने हेतु उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी साधन की संपूर्ण जिम्मेदारी का कारण बने।

26. **आपूर्तिकर्ताओं के प्रति-निबंधन एवं शर्तें:**

जहां कहां भी प्रति-निबंधन एवं शर्तें/मुद्रित या साइक्लोस्टाइल शर्तें आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित की गई हैं उन्हें क्रेता स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं होगा जब तक कि उस पर विशेष लिखित स्वीकृति न प्राप्त की जाए।

27. **सुरक्षा हित**

इस संविदा के तहत डिलीवर की जाने वाली हर मद, कार्यरत मद सहित, जिसके संबंध में संविदा की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जा चुके हैं तो क्रेता को ऐसे मदों में सुरक्षा की चिंता होगी जो उस समय ही जारी किया जाना माना जाएगा जब संविदा की शर्तों के अनुसार क्रेता को डिलीवर करने योग्य अंतिम रूप से स्वीकृत और डिलीवर कर दी गई हैं। क्रेता का ऐसा सुरक्षा हित किसी निकाय द्वारा ऐसे मदों के संबंध में उठे किसी शुल्क या हित के एवज में पूर्व शुल्क की व्यवस्था करेगा।

28. **बैंक प्रभार:**

जबकि क्रेता अपने बैंकर (स्टेट बैंक ऑफ़ इडिया) को भुगतान किए जाने वाले बैंक प्रभार का वहन करेगा और ठेकेदार परामर्श देने/संशोधन कमीशन की ओर करों सहित अपने बैंकर को भुगतान किए जाने वाले बैंक प्रभार का वहन करेगा।

29. **प्रशिक्षण:**

यदि क्रेता के लिए आवश्यक हुआ तो ठेकेदार भारत से क्रेता के इंजीनियरी/तकनीकी कार्मिक को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं मुहैया कराएगा और संविदा/भंडारों की निर्माण अवधि में विनिमयबद्ध प्रक्रिया के सक्रिय सहयोग से ऐसे कार्मिकों की संख्या की पारस्परिक रूप से सहमति होनी चाहिए।

30. **लागू कानून:**

संविदा की भारत के कानून द्वारा व्याख्या, अर्थघटन एवं नियमित किए जाएंगे।